

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्या: 54 / 2020

आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड,
शाखा कार्यालय:- एम्बीशन टॉवर, ऑफिस नंबर- 307-312, थर्ड फ्लोर, अग्रसेन सर्किल,
सी-स्कीम, जयपुर (राज0)प्रार्थी / सिक्क्योर क्रेडिटर

बनाम

- (1) श्री मनोज कुमार तुलसानी पुत्र श्री अशोक कुमार तुलसानी,
निवासी:- 534/44, गुर्जर मौहल्ला, लाखन कोटडी, अजमेर (राज0) 305001
एवं मैसर्स विनायक ट्रेडिंग कम्पनी, पता-प्लॉट नं0-1, गणेश मन्दिर के सामने,
विलेज बोराज, काजीपुरा, अजमेर (राज0) 305001 एवं प्लॉट नंम्बर-01, खसरा
नंम्बर-557 मिन 558, एवं 564, गणेश मन्दिर के सामने, विलेज बोराज, काजीपुरा,
तहसील व जिला अजमेर (राज0) 305001
- (2) श्रीमती मधु तुलसानी पत्नी श्री अशोक कुमार तुलसानी,
निवासी:- प्लॉट नंम्बर-01, खसरा नंम्बर-557 मिन, 558, एवं 564,
गणेश मन्दिर के सामने, विलेज बोराज, काजीपुरा,
तहसील व जिला अजमेर (राज0) 305001 एवं 534/44,
गुर्जर मौहल्ला, लाखन कोटडी, अजमेर (राज0) 305001
- (3) श्री अशोक कुमार तुलसानी पुत्र श्री नथर मल,
निवासी:- 534/44, गुर्जर मौहल्ला, लाखन कोटडी, अजमेर (राज0) 305001
एवं प्लॉट नंम्बर-01, खसरा नंम्बर-557 मिन, 558, एवं 564,
गणेश मन्दिर के सामने, विलेज बोराज, काजीपुरा,
तहसील व जिला अजमेर (राज0) 305001

.....अप्रार्थीगण / ऋणी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्क्युराईटेशन रिकसट्क्शन
आफ फाईनेन्शियल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ
सिक्क्युरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपरिस्थित :- उमराव बसीटा

अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांक 27.02.2020

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी कम्पनी ने अप्रार्थीगण
01 लगायात 03 को दिनांक 16.02.2015 को रु. 14,00,000/- (अक्षरे चौदह लाख मात्र)
की ऋण सुविधा स्वीकृत की थी। इस हेतु अप्रार्थीगण ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजात
निष्पादित कर ग्राम बोराज, काजीपुरा, तहसील व जिला अजमेर (राज0) के गणेश मन्दिर
के सामने खसरा नं0-557 मिन, 558 एवं 564, के भाग पर स्थित आवासीय अचल
सम्पत्ति, क्षेत्रफल 101.50 वर्गगज है, जिसकी चतुर्थ सीमाएँ- पूर्व में-भूखण्ड संख्या 32,
पश्चिम में- आम रास्ता 20 फीट चौड़ा, उत्तर में- आम रास्ता 20 फीट चौड़ा, दक्षिण में-
भूखण्ड संख्या 02, को बतौर जमानत प्रार्थी कम्पनी के पास बन्धक रखा था। अप्रार्थीगण
नियमित रूप से प्रार्थी कम्पनी को उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और बकाया
ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम व चूक कर दी और दिनांक 06.03.2019 को डिफाल्टर हो
गये। प्रार्थी कम्पनी द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण ऋणी को
दिनांक 16.03.2019 को रजिस्टर्ड मांग नोटिस रुपये 11,82,368/- (अक्षरे ग्यारह लाख



Dehane
जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

बयासी हजार तीन सौ अडसठ रूपये मात्र) का जारी किया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा भी प्रार्थी कम्पनी को नहीं सम्भलाया है। प्रार्थी कम्पनी द्वारा The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी कम्पनी को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थनापत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि अप्रार्थीगण ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस प्राप्त करने के बावजूद भी प्रार्थी कम्पनी को जमा नहीं कराया है। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अर्न्तगत प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में उक्त रहन रखी सम्पत्ति का अधिनियम के प्रावधान अनुसार कब्जा प्रार्थी कम्पनी को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरेमाते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी कम्पनी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस जारी करने के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगण द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण ऋणी की ओर से प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में बंधक सम्पत्ति ग्राम बोरज, काजीपुरा, तहसील व जिला अजमेर (राज0) के गणेश मन्दिर के सामने खसरा नं0-557 मिन, 558 एवं 564, के भाग पर स्थित आवासीय अचल सम्पत्ति, क्षेत्रफल 101.50 वर्गगज है, जिसकी चतुर्थ सीमाएं - पूर्व में-भूखण्ड संख्या 32, पश्चिम में- आम रास्ता 20 फीट चौड़ा, उत्तर में- आम रास्ता 20 फीट चौड़ा, दक्षिण में- भूखण्ड संख्या 02, का भौतिक कब्जा प्रार्थी कम्पनी द्वारा जरिये संबधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी कम्पनी, पुलिस अधीक्षक, अजमेर को हर्ब कायदा जारी हो।

आदेश आज दिनांक 27.02.2020 को सुनाया गया।



V. Sharma

(विश्व मोहन शर्मा)

जिला मजिस्ट्रेट

अजमेर